मध्यप्रदेश शासन
गृह विभाग
मंत्रालय,भोपाल

कमांक–एफ–16–498/2011/बी–1/दो, भोपाल, दिनांक 26.03.2011

प्रति,

समस्त आयुक्त,
समस्त जिला दण्डाधिकरी,
मध्यप्रदेश।

विषय–व्यक्ति विशेष के लिये शस्त्र एवं गोला बारुद नीति।

भारत सरकार व्दारा पूर्व में जारी किये गये समस्त निर्देशों को अधिक्रमित करते हुये व्यक्ति विशेष के लिये शस्त्र एवं गोला बारुद के संबंध में संशोधित नीति जारी की गई है, जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाईट http:/www.mha.nic.in पर संगठनात्मक ढ़ाचा अन्तर्गत आर्म्स गृह मंत्रालय, आंतरिक सुरक्षा–II प्रभाग में शस्त्रों के अर्जन/रखने के निर्देश उपलब्ध हैं। साथ ही साथ राज्य शासन व्दारा पूर्व में जारी किये गये शस्त्र लायसेंस से संबंधित समस्त निर्देशों को अधिक्रमित करते हुये गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप निम्नानुसार नीति निर्धारित की जाती है।

i) निषिध्द बोर (पीबी) हथियारों के लिये शस्त्र लाइसेंस प्रदान किया जाना–

1. इस श्रेणी के शस्त्रों के लिये उपरोक्त पत्र में दर्शित श्रेणी के व्यक्तियों को, दर्शित परिस्थितियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के लिये प्रस्ताव अग्रेषित नहीं किये जाये।

ii) गैर–निषिध्द बोर (एनपीबी) हथियारों के लिये शस्त्र लाइसेंस प्रदान किया जाना–

2. गैर–निषिध्द बोर (एनपीबी) हथियारों के लिये नवीन शस्त्र लाइसेंस प्रदाय की स्वीकृति भारत सरकार के निर्देश के अनुरुप जिला दण्डाधिकारी व्दारा की जायेगी।

2.1 राज्य शासन व्दारा यह निर्णय लिया गया है कि कुछ श्रेणी के व्यक्तियों को, पद एवं कार्य की प्रकृति के कारण सामान्य खतरा उत्पन्न होता है, इसको दृष्टिगत रखते हुये निम्न दर्शित श्रेणी के व्यक्तियों को शस्त्र लायसेंस सामान्यतः अधिकतम दो की सीमा में स्वीकृत किये जायेगे, जिसमें एक

पिस्टल/ रिवाल्वर का लायसेंस राज्य शासन की पूर्वानुमति से जिला दण्डाधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

i) केन्द्र सरकार के मान.मंत्री एवं सांसद।

ii) राज्य सरकार के मानमंत्री एवं विधायक।

iii) अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी।

iv) सैनिक एवं अर्ध सैनिक बल के कर्नल एवं उनके वरिष्ठ पद तथा उनके समकक्ष श्रेणी के अधिकारी।

v) राज्य प्रशासनिक सेवा के अपर कलेक्टर।

vi) राज्य पुलिस सेवा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक।

vii) न्यायिक सेवा के मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी एवं उनसे वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी।

viii) नगर निगम के महापौर, जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं नगर पालिका के अध्यक्ष।

ix) राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी जैसे कि ख्यातिप्राप्त निशानेबाज (Renowned Shooter)।

2.2. उपरोक्त दर्शित व्यक्तियों को छोड़कर शेष व्यक्तियों के लिये खतरे के आधार पर भारत सरकार द्वारा जारी निर्देश की कंडिका (ii) के अनुरुप ही शस्त्र लायसेंस स्वीकृत किये जायेंगे।

2.3 पिस्टल/रिवाल्वर के प्रस्ताव पूर्ववत राज्य शासन की पूर्वानुमति से जिला दण्डाधिकारी द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे।

2.4 कंडिका 2.1 में वर्णित व्यक्तियों को छोड़कर शेष व्यक्तियों को सामान्यतः एक से अधिक शस्त्र रखने की नई अनुज्ञप्ति जारी नहीं की जायेगी।

2.5 राष्ट्रीय स्पर्धा में भाग लेने वाले खिलाड़ियों जैसे ख्यातिप्राप्त निशानेबाज की पात्रता रखने वाले खिलाड़ियों के दो से अधिक शस्त्रों के प्रस्ताव गृह विभाग को अग्रेषित किये जायेगे।

2.6 रिवाल्वर/पिस्टल के लायसेंस भारत सरकार के निर्देशों के अनुरुप आवेदक का पूर्ववृत तथा खतरे का आंकलन, शस्त्रों को संभालकर रखने की क्षमता आदि विवरण के साथ **संलग्न पत्रक कमांक–1** में प्रस्ताव गृह विभाग को अग्रेषित किये जायेगे।

2.7 नवीन शस्त्र लायसेंस की अनुज्ञप्ति हेतु जिला दण्डाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जांच प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक कार्यालय से एवं राजस्व

अधिकारियों से 45 दिनों की अधिकतम सीमा में प्राप्त हो जाये। 45 दिन से अधिक सीमा अवधि लगने पर पुलिस अधीक्षक संबंधित पुलिस अधिकारियों के विरुध्द दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। इसी प्रकार राजस्व कार्यालय में 45 दिन से अधिक लंबित रहने पर संबंधित के विरुध्द दण्डात्मक कार्यवाही जिला दण्डाधिकारी सुनिश्चित करेंगे।

2.8 वर्तमान में जितने भी प्रकरण लंबित है उसे 15 दिन की अवधि में निराकृत कर दिये जाये तथा 1 अप्रेल की स्थिति में 60 दिन से अधिक लंबित होने पर जिला दण्डाधिकारी कार्यालय में लंबित प्रकरणों की **सूची संलग्न पत्रक कमांक–3** में गृह विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

iii) पारिवारिक कुलागत नीति के अन्तर्गत लाइसेंस प्रदान किया जाना :–

3. गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र की कंडिका–III का पालन किया जाये तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र कमांक V–11016/16/2009 दिनांक 7.1.2011 में नाती (Grand Children) को भी शामिल किया गया है।

iv) गोला बारुद की मात्रा :–

4. वर्तमान में प्रत्येक शस्त्र के लिये एक वर्ष में 10 कारतूस क्रय करने तथा धारण करने की अधिकतम 25 कारतूस की सीमा निर्धारित की गई है। परन्तु पूर्व में जारी कुछ शस्त्र लायसेंसों पर इससे अधिक मात्रा भी स्वीकृत है। भारत सरकार के परिपत्र की कंडिका–IV में निर्देशों के अनुरुप निम्नानुसार संशोधित व्यवस्था लागू की जाती है–

4.1 कंडिका 2.1 में दर्शित व्यक्तियों एवं जान को गंभीर खतरे के आधार पर स्वीकृत शस्त्र लायसेंसधारी व्यक्तियों के लिये 50 कारतूस तथा शेष अन्य व्यक्तियों के लिये 30 कारतूस के धारण करने की अधिकतम सीमा निर्धारित होगी।

4.2 उपरोक्त सीमा किसी व्यक्ति विशेष को जारी किये गये समस्त शस्त्रों के लिये रहेगी। उदाहरण के तौर पर यदि किसी व्यक्ति के पास तीन शस्त्र लाइसेंस स्वीकृत है, तो तीनों शस्त्रों को मिलाकर उसे किसी भी समय में अधिकतम 50 या 30 (जो भी लागू हो) कारतूस रखने की पात्रता होगी।

4.3 कंडिका 2.1 में दर्शित व्यक्तियों एवं जान को गंभीर खतरे के आधार पर स्वीकृत शस्त्र लायसेंस के उत्तराधिकारी को हस्तांरित होने पर 30 कारतूस की पात्रता ही रहेगी।

4.4 किसी के पास एक से अधिक अनुज्ञप्ति मौजूद है, तो नवीनीकरण के समय एक ही अनुज्ञप्ति पर समस्त शस्त्र अंकित किये जायेंगे।

4.5 उपरोक्त निर्देश वर्तमान में स्वीकृत पुराने शस्त्र लायसेंसों पर भी लागू किये गये हैं।

v) गोला–बारुद के प्रयोग की सूचना देनाः–

5. भारत सरकार व्दारा जारी निर्देशों के अनुरुप गोलाबारुद की सूचना देना अनिवार्य किया गया है। सूचना देने के संबंध में राज्य शासन व्दारा निम्नानुसार प्रकिया निर्धारित की जाती है –

5.1 लायसेंस के साथ पृथक से एक बुकलेट रखी जायेगी जिसमें शस्त्र लायसेंसधारी द्वारा निम्न कॉलमों में जानकारी अंकित की जायेगी –

सक	प्रयोग का दिनांक	स्थान	फायर किये गये बुलेट की संख्या	उद्येश्य

5.2 शस्त्र विक्रेता खाली खोखे प्राप्त किये बिना नया कारतूस किसी भी शस्त्र लायसेंस पर आदेश दिनांक से विक्रय नहीं करेंगे बशर्ते कि किसी लायसेंसधारी को कारतूस रखने की क्षमता में वृध्दि की गई हो या पूर्व में उसके पास स्वीकृत कारतूस की संख्या से कम संख्या में कारतूस क्रय किया गया हो।

5.3 यदि किसी शस्त्र लायसेंसधारी व्दारा राज्य के बाहर कारतूस का क्रय किया गया हो, उस स्थिति में नवीनीकरण के समय खाली खोखे जिला दण्डाधिकारी कार्यालय में जमा कराये जायेंगे।

5.4 व्यक्तिगत लायसेंसधारियों व्दारा कारतूस फायर करने की स्थिति में एक माह के अन्दर जिला दण्डाधिकारी को **संलग्न पत्रक क्रमांक–4** में जानकारी उपलब्ध करायेगे तथा इसकी प्रतिलिपि संबंधित थाना प्रभारी (जहां लायसेसधारी का शस्त्र दर्ज है) को देगें।

5.5 भारत सरकार, की कंडिका–V अनुसार प्रत्येक जिला दण्डाधिकारी त्रैमासिक आधार पर लायसेंसधारी व्दारा इस्तेमाल किये गये गोला–बारुद का प्रतिवेदन राज्य शासन को भेजेगें। यह प्रतिवेदन प्रत्येक त्रैमास के बाद अगले महिने की आखरी तिथि तक भेजना सुनिश्चित किया जाए। जैसे

कि वर्ष 2011 के प्रथम त्रैमास की जानकारी 30 अप्रेल तक राज्य शासन को भेज दी जाये।

5.6 इसी प्रकार शस्त्र विक्रेता द्वारा क्रय–विक्रय किये गये शस्त्र एवं कारतूस की जानकारी जिला दण्डाधिकारी को भेजी जायेगी।

5.7 खाली खोखे गुम होने की स्थिति में विशेष परिस्थितियों के आधार पर लायसेंस जारीकर्ता प्राधिकारी कारतूस क्रय करने की अनुमति दे सकेंगे।

vi) प्रवासी भारतीयों को शस्त्र लाइसेंस की स्वीकृति–

6. भारत सरकार के निर्देशों के अनुरुप कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।

vii) शस्त्र लाइसेंस की क्षेत्र वैधता–

7. भारत सरकार व्दारा राज्य शासन को अधिकतम तीन समीपस्थ राज्यों की क्षेत्र वैधता की अनुमति देने का अधिकार प्रत्यायोजित किया गया है तथा साथ में निम्न व्यक्तियों के अनुरोधों पर अखिल भारतीय वैधता देने का अधिकार प्रत्यायोजित किया गया है –

1. पदासीन माननीय केन्द्रीय मंत्रीगण एवं ससंद सदस्य
2. सेना, अर्ध्द सैनिक कार्मिकों
3. अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों
4. भारत में कहीं भी सेवा करने के लिये जिम्मेदार अधिकारी
5. खिलाड़ियों के अखिल भारतीय वैधता के अनुरोधों पर

7.1 राज्य शासन व्दारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार के मान. मंत्रीगण एवं विधायकगणों को अखिल भारतीय क्षेत्र वैधता के लिये क्षेत्र वृध्दि की जायेगी।

7.2 अखिल भारतीय वैधता के लायसेंस को तीन वर्ष के बाद नवीनीकरण करने का अधिकार जिला दण्डाधिकारी के स्थान पर राज्य शासन को प्रत्यायोजित किये गये है।

7.3 उपरोक्त कंडिका 7 एवं 7.1 में दर्शित व्यक्तियों के अलावा शेष व्यक्तियों को तीन राज्यों की अधिकतम सीमा के लिये प्रस्ताव **संलग्न पत्रक कमांक–2** में निम्न परिस्थितियों में ही राज्य शासन को अग्रेषित किया जाये । बशर्ते कि इन व्यक्तियों की जान को गंभीर खतरा हो या किसी कारण से गंभीर खतरा होने की संभावना हो अर्थात नये नियमों के अन्तर्गत उन्हें नवीन शस्त्र लायसेंस की पात्रता आती हो:–

(क) ऐसे व्यक्ति जो मध्यप्रदेश में शासकीय सेवा में (तीन राज्यों की अधिकतम सीमा के अन्तर्गत) कार्यरत है और उनका स्थाई निवास पड़ोसी राज्य में है, तो उन्हें स्थाई निवास के राज्य की सीमा तक।

(ख) ऐसे व्यक्ति जो मध्यप्रदेश का मूल निवासी है एवं अन्य राज्य में स्थाई तौर पर कार्यरत है, उन्हें भी तीन राज्यों की अधिकतम सीमा में कार्यरत राज्य के क्षेत्र वैधता तक।

(ग) ऐसे व्यापारी जिनका व्यापार अन्य राज्यों में हो तथा व्यापार का सामान्यतः टर्न ओव्हर पर्याप्त है तथा उनके व्दारा एक लाख रुपये का वार्षिक आयकर गत वर्षों में दिया गया है, तो व्यापार के आधार पर तीन पड़ोसी राज्यों की सीमा तक।

viii) **नवीनीकरण–**

8. भारत सरकार के निर्देशानुसार नवीनीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

8.1 भारत सरकार के निर्देशों के अनुरुप अखिल भारतीय वैधता के लायसेंस कंडिका–7 में दर्शित श्रेणी को छोड़कर शेष व्यक्तियों को भारत सरकार की पुर्वानुमति के पश्चात दिया जाना है तथा पूर्व में जारी अखिल भारतीय वैधता के शस्त्रों का नवीनीकरण प्रत्येक तीन वर्ष बाद राज्य शासन स्तर पर किया जाना है। पूर्व में अखिल भारतीय वैधता के स्वीकृत लायसेंसों की सख्या बहुत अधिक है। अतः पूर्व में जारी एक से अधिक राज्यों के लिये क्षेत्र वैधता लायसेंस में नवीनीकीरण के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही जिला दण्डाधिकारी द्वारा की जायेगीः–

(क) जिन व्यक्तियों को अधिकतम तीन पड़ोसी राज्यों की सीमा के लिये लायसेंस स्वीकृत है उनका पूर्ववत नवीनीकरण जिला दण्डाधिकारी व्दारा किया जायेगा।

(ख) कंडिका–7 एवं 7.1 में दर्शित अखिल भारतीय वैधता के नवीनीकरण प्रस्ताव **पत्रक कमांक–5** में राज्य शासन को अग्रेषित किये जायेगे।

(ग) कंडिका 7 एवं 7.1 में दर्शित व्यक्तियों को छोड़कर शेष व्यक्तियों को यदि तीन राज्यों की सीमा से अधिक की क्षेत्र वैधता का लायसेंस स्वीकृत हैं, तो उनके नवीनीकरण के समय केवल मध्यप्रदेश के लिये ही नवीनीकृत किया जायेगा। यदि किसी विशेष प्रकरण में मध्यप्रदेश से बाहर के लिये क्षेत्र वैधता का लायसेंस

स्वीकृत किया जाना है, तो उस परिस्थिति में कंडिका 7.3 के मापदण्ड पूर्ण करने पर ही तीन राज्यों की सीमा तक का नवीनीकरण जिला दण्डाधिकारी व्दारा किया जायेगा ।

8.2 यदि किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक लायसेंस स्वीकृत है तो नवीनीकरण समस्त शस्त्रों की प्रविष्टि एक ही लायसेंस में की जायेगी। पूर्व में जारी किये गये कारतूस की मात्रा को भी कड़िका 4.1 के अनुरूप नवीनीकृत किया जायेगा।

8.3 यदि किसी को पूर्व में खेल के नाम पर स्वीकृत किया गया है, परन्तु वह व्यक्ति वर्तमान में पिछले तीन वर्षों से खेल प्रतियोगिता में भाग लेना बंद कर दिया हो, तो उसे भी इसी सीमा के अन्तर्गत कारतूस की मात्रा स्वीकृत की जायेगी।

उपरोक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये ।

(एल.पी.जैन)
अवर सचिव,
म.प्र.शासन,गृह विभाग

पृष्ठा. क्रमांक–एफ–16–498/2011/बी–1/दो, भोपाल, दिनांक 26.03.2011

प्रतिलिपिः–

1. पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश,
2. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, आतंरिक सुरक्षा–II प्रभाग आर्म्स अनुभाग, 9 वां माला, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली की ओर उनके अनुदेश क्रमांक V-11016/16/2009-आर्म्स, दिनांक 31 मार्च, 2010 के अनुक्रम में कृपया सूचनार्थ
3. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, मध्यप्रदेश,
4. समस्त रेंज उप पुलिस महानिरीक्षक, मध्यप्रदेश,
5. समस्त पुलिस अधीक्षक, मध्यप्रदेश,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

(एल.पी.जैन)
अवर सचिव,
म.प्र.शासन,गृह विभाग

पत्रक कमांक–1

पिस्टल/रिवाल्वर के नवीन लायसेंस हेतु जिला दण्डाधिकारी द्वारा अग्रेषित किये जाने वाला प्रतिवेदन

1. आवेदक का पूरा नाम .....
.....

2. पिता/पति का नाम .....
.....

3. आवेदक का वर्तमान पता .....
.....
.....

4. आवेदक का स्थाई निवास का पता .....
.....
.....

5. यदि आवेदक जिले का स्थाई निवासी नहीं है तो पिछले 05 वर्षो के निवास स्थल की जानकारी का विवरण :–

स. क.	निवास अवधि		पूर्ण पता
	कब से	कब तक	
1.			
2.			
3.			

6. आवेदक के पहचान, आयु एवं निवास संबंधी एक–एक दस्तावेज संलग्न करें:–

स. क.	प्रकार	संलग्न दस्तावेज का विवरण
1	पहचान	
2	आयु	
3	निवास	

7. आवेदक का व्यवसाय .....

8. आवेदक की गत तीन वर्ष में कुल आय एवं अदा किये गये आयकर का विवरण :–

	वर्ष	कुल आय	अदा किये गये आयकर
प्रथम	200 –200		
द्वितीय	200 –200		
तृत्तीय	200 –200		

9. आवेदक के पास चल/अचल सम्पत्ति का विवरण :–

	संपति का नाम	**क्षेत्रफल**	**मूखण्ड/मकान का पता**	**अनुमानित बाजार मूल्य**
1.	कृषि भूमि			
2.	आवासीय भूमि			
3.	आवास			
4.	वाहन			
5.	आभूषण			
6.	बैंक खातों नगद जमा शेयर आदि			
7.	अन्य			

10 आवेदक ने यदि ऋण भुगतान नहीं किया हो या किसी संस्था का देयक (बिजली बिल, सम्पत्ति कर आदि) का भुगतान नही किया हो, उसका विवरण दें:–

संस्था का नाम	**लंबित राशि**	**कब से है**

11 आवेदक यदि शासकीय सेवा में हो तो निम्न विवरण दे–

पद	**विभाग का नाम**	**वर्तमान पदस्थापना एवं किस दिनांक से कार्यरत**	**वेतनमान एवं ग्रेड पे**	**किस श्रेणी का अधिकारी है**	**नियुक्ति दिनांक**

12 यदि आवेदक सेना/केन्द्रीय पुलिस संगठन या राज्य पुलिस का कर्मचारी है तो विवरण एवं कमांडिग आफिसर का एनओसी भी संलग्न करें:–

यूनिट (सेना/केंद्रीय पुलिस/राज्य पुलिस)	**पदस्थापना स्थल का नाम**	**वर्तमान पद एवं वेतनमान**	**कमाण्डिंग अधिकारी का नाम एवं दूरभाष**

13 आवेदक या परिवार के सदस्यों के पास पूर्व से मौजूद हथियार लायसेंस का विवरण –

स्र.क.	आवेदक का रिश्ता	शस्त्र लायसेंसों की संख्या	शस्त्र लायसेंस का प्रकार एवं स्वीकृत शस्त्र लायसेंस की छायाप्रति
1			
2			
3			

14 क्या आवेदक व्दारा निर्धारित फार्म में प्रस्तुत आवेदन पत्र विशेषकर उसके भाग 'स ' एवं भाग 'बी' में दिये गये थे, विवरण का सत्यापन कर लिया गया तथा क्या सत्यापन पर उसके व्दारा दी गई जानकारी सही पाई गई है –
.....
.....
.....
.....
.....

15 आवेदक के विरुध्द दर्ज अपराध/प्रतिबंधात्मक कार्यवाही का विवरण यदि है तो–

सक	अपराध/ इस्तगासा कमांक एवं धारा	थाना	जिला	अपराध का संक्षिप्त विवरण	न्यायालय से निराकरण का विवरण

16 क्या कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही आवेदक के विरुध्द न्यायालय या शैक्षणिक संस्था से निष्कासन आदि या सेना में कोर्ट मार्शल की कार्यवाही आदि की गई हो तो उसका विवरण–

17 क्या आवेदक को किसी व्यक्ति विशेष या समूह विशेष से जान को गम्भीर खतरा है, उसका स्पष्ट विवरण–
.....
.....
.....

18 आवेदक की शस्त्रों को संभालकर रखने की क्षमता

19 आवेदक का पूर्ववृत या अन्य कोई सूचना जिससे पुलिस प्राधिकारी लायसेंस प्रदाय करने अथवा इंकार करने के लिये प्रारम्भिक समझे ।

20 पुलिस अधीक्षक का अभिमत एवं संक्षिप्त विवरण .....
.....
.....

21. जिले एवं ग्राम/मोहल्ला में स्वीकृत शस्त्र लायसेंसों की संख्या–

कमांक	शस्त्र का प्रकार	लायसेंसी हथियारों की कुल संख्या		इस वर्ष में जारी नये लायसेंसों की संख्या	
		जिले में	गांव में	जिले में	गांव में
1	पिस्टल/रिवा.				
2	एम.एल.गन				
3	बी.एल.गन				
4	रायफल				
5	अन्य कोई				

22 जिला दण्डाधिकारी व्दारा अनुशंसा कारण सहित .....
.....
.....
.....

हस्ताक्षर–
नाम ( )
जिला दण्डाधिकारी
जिला.....
दिनांक .....

पत्रक कमांक–2

शस्त्र लायसेंस की क्षेत्रवैधता वृद्धि हेतु जिलादण्डाधिकारी द्वारा अग्रेषित किये जाने वाला प्रतिवेदन

1. आवेदक का पूरा नाम एवं आयु .....

   .....

2. पिता/पति का नाम .....

3. आवेदक का वर्तमान पता .....

   .....

3. आवेदक का स्थाई पता .....

   .....

4. स्वीकृत शस्त्र लायसेंस का विवरण

स. क.	शस्त्र का प्रकार	अनुज्ञप्ति क. एवं दिनांक	स्वीकृतकर्त्ता अधिकारी	शस्त्र क्रय की दिनांक	कब तक नवीनीकृत	लायसेंस का वर्तमान क्षेत्र
1						
2						
3						

   .....

5. आवेदन करते समय किस सीमाक्षेत्र की मांग की गई थी

6. शस्त्र लायसेंस की सत्यापित छायाप्रति .....

7. आवेदक की गत तीन वर्ष में कुल आय एवं अदा किये गये आयकर का विवरण

वर्ष		कुल आय	जमा किया आयकर
प्रथम			
द्वितीय			
तृतीय			

7. क्षेत्रवृद्धि हेतु दर्शाये गये कारण .....

7.1 यदि आवेदक राजनैतिक क्षेत्र से संबंधित है तो पद/कार्यक्षेत्र

7.2 यदि आवेदक व्यवसायी है तो व्यवसाय का नाम व कार्य क्षेत्र

वर्ष	कुल टर्न ओवर	जमा सेवाकर	जमा वेट
प्रथम			
द्वितीय			
तृतीय			

7.3 यदि आवेदक शासकीय सेवा में है तोः–

(अ) पद एवं श्रेणी .....

(ब) कार्यरत स्थान का नाम .....
एवं विभाग

(स) मूल वेतन एवं ग्रेड वेतन .....

7.4 यदि आवेदक सुरक्षा गार्ड की नौकरी में तैनात है तो –

(अ) संस्था का नाम एवं कब से .....
कार्यरत है

(ब) संस्था द्वारा कार्य करने के संबंध .....
में जारी अनुभव प्रमाण पत्र,
वेतन आदि की जानकारी सहित

9. क्या आवेदक को किसी .....
व्यक्ति/समूह विशेष से जान को .....
खतरा है, का स्पष्ट आधार देंगे एवं
उसका विवरण

10. दर्शाये गये कारण का औचित्य यदि .....
बताया गया हो तो विस्तृत विवरण .....
दिया जाये। व्यापार या शासकीय .....
सेवा का प्रकार एवं उसके परिप्रेक्ष्य .....
में परिक्षण कर औचित्य दर्शाया
जाये।

8. पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा .....

जिला दण्डाधिकारी
जिला————————

पत्रक कमांक–3

जिला दण्डाधिकारी कार्यालय में 60 दिन से अधिक लंबित रहने वाले प्रकरण की जानकारी

स. क.	आवेदक का नाम	विषय	कार्यालय में प्राप्ति दिनांक	की गई कार्यवाही	लंबित रहने का कारण	सत्यापन हेतु पुलिस विभाग/ राजस्व विभाग में 45 दिन से अधिक लंबित रहने पर की गई कार्यवाही

पत्रक कमांक–4

कारतूस फायर करने की स्थिति में जानकारी

प्रति,

जिला दण्डाधिकारी,

जिला––––––––

विषय–शस्त्र से किये गये फायर की जानकारी देने के संबंध में ।

मैं..... पुत्र.....
निवासी.....
स्थाई पता.....
.....
शस्त्र लायसेंस कमांक.....
जिला.....से स्वीकृत हुआ है। मेरा लायसेंस दिनांक.....तक नवीनीकृत है तथा उसका सीमाक्षेत्र .....स्वीकृत है।

मेरे द्वारा आज दिनांक.....को.....बजे स्थान .....पर उक्त शस्त्र से निम्नलिखित परिस्थितियों

में .....चक फायर किया गया है।

अतः उक्त शस्त्र से .....चक फायर की सूचना दे रहा हूँ कृपया आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

हस्ताक्षर
आवेदक का नाम

प्रतिलिपि–

थाना प्रभारी, थाना .....जिला ..... की ओर उपरोक्तानुसार कृप्या सूचनार्थ।

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर

पत्रक कमांक–5

जिलादण्डाधिकारी द्वारा अखिल भारतीय वैधता नवीनीकरण हेतु अग्रेषित किये जाने वाला प्रतिवेदन

1. आवेदक का पूरा नाम एवं आयु .....

   .....

2. पिता/पति का नाम .....

3. आवेदक का वर्तमान पता .....

   .....

3. आवेदक का स्थाई पता .....

   .....

4. स्वीकृत शस्त्र लायसेंस का विवरण

स. क.	शस्त्र का प्रकार	अनुज्ञप्ति क. एवं दिनांक	स्वीकृतकर्त्ता अधिकारी	शस्त्र क्रय की दिनांक	कब तक नवीनीकृत	लायसेंस का वर्तमान क्षेत्र
1						

6. शस्त्र लायसेंस की सत्यापित छायाप्रति .....

7. आवेदक की गत तीन वर्ष में कुल आय एवं अदा किये गये आयकर का विवरण

वर्ष		कुल आय	जमा किया आयकर
प्रथम			
द्वितीय			
तृतीय			

7.1 यदि आवेदक राजनैतिक क्षेत्र से संबंधित है तो पद/कार्यक्षेत्र

7.2 यदि आवेदक शासकीय सेवा में है तो:–

(अ) पद एवं श्रेणी .....

(ब) कार्यरत स्थान का नाम .....
एवं विभाग

(स) मूल वेतन एवं ग्रेड वेतन .....

8. क्या आवेदक को किसी व्यक्ति/समूह विशेष से जान को खतरा है, का स्पष्ट आधार देंगे एवं उसका विवरण .....
.....

9. दर्शाये गये कारण का औचित्य यदि बताया गया हो तो विस्तृत विवरण दिया जाये। व्यापार या शासकीय सेवा का प्रकार एवं उसके परिप्रेक्ष्य में परिक्षण कर औचित्य दर्शाया जाये। .....
.....
.....
.....

10 पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा .....
.....
.....
.....
.....

जिला दण्डाधिकारी
जिला————————

सं. V-11016/16/2009-आर्म्स

गृह मंत्रालयआंतरिक सुरक्षा-।। प्रभाग/शस्त्र अनुभाग

***

9वां तल, लोक नायक भवन, खान मार्किट

नई दिल्ली, दिनांक : 31 मार्च, 2010

सेवा में, सचिव (गृह विभाग),

सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र।

विषय: शस्त्रों के अर्जन/रखने के लिए शस्त्र लाइसेंस प्रदान किया जाना।

महोदय, अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि देश में शस्त्रों के प्रसार पर अंकुश लगाने की दृष्टि से, शस्त्र लाइसेंस प्रदान किए जाने संबंधी उपबंधों की समीक्षा की गई है और सभी मौजूदा अनुदेशों के अधिक्रमण में निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं :-

i) **<u>निषिद्ध बोर (पी बी) हथियारों के लिए शस्त्र लाइसेंस प्रदान किया जाना</u>**

निषिद्ध बोर हथियारों के अर्जन के लिए शस्त्र लाइसेंसों पर केन्द्र सरकार द्वारा गृह मंत्रालय में विचार किया जाता है। यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में शस्त्र लाइसेंस प्रदान किए जाने हेतु निम्नलिखित श्रेणी के व्यक्तियों के आवेदनों पर विचार किया जाए :

क) वे व्यक्ति, जिनकी जान को गंभीर और आसन्न खतरा केवल इस कारण से है कि वे ऐसे भौगोलिक क्षेत्र (अथवा क्षेत्रों) के निवासी हैं, जहां आतंकवादी अधिक सक्रिय हैं और/अथवा आतंकवादियों की नज़र में वे प्रमुख 'निशाने' पर बने हुए हैं और/अथवा आतंकवादियों के लक्ष्य और उद्देश्यों के लिए खतरे माने जाते हैं और इसलिए उनकी जान को खतरा है।

ख) ऐसे सरकारी कर्मचारी, जो अपने पद के कारण और/अथवा उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की प्रकृति और/अथवा अपनी सरकारी ड्यूटी के निर्वहन के कारण,

आतंकवादियों की नज़र में निशाना बन जाते हैं और उन पर आतंकवादी हमले होने की आशंका होती है।

ग) गैर-सरकारी/निजी व्यक्तियों सहित संसद सदस्य और विधायक, जो सरकार के आतंकवाद-रोधी कार्यक्रमों और नीतियों से नज़दीकी रूप से और/अथवा सक्रिय रूप से जुड़े होने अथवा अपने किसी राजनैतिक अथवा किसी और प्रकार के मत, जो आतंकवादियों को नापसंद हों, के कारण स्वयं आतंकवादियों के निशाने पर आ गए हैं।

घ) उन व्यक्तियों के पारिवारिक सदस्य/निकटतम संबंधी, जो सरकार (पूर्व अथवा वर्तमान) में अपनी ड्यूटियों अथवा कार्य निष्पादन (पूर्व अथवा वर्तमान) अथवा पद की प्रकृति अथवा यहां तक कि ज्ञात/अज्ञात कारणों से अन्यथा निशाना बन गए हैं और आतंकवादियों द्वारा खत्म किए जाने हेतु उचित निशाने समझे जाने लगे हैं।

तदनुसार, यह अनुरोध किया जाता है कि निषिद्ध बोर हथियार प्रदान किए जाने के संबंध में उपर्युक्त श्रेणियों के व्यक्तियों के आवेदन संबंधित जिलाधीश की सिफारिशों, राज्य सरकार की सिफारिशों और पुलिस सत्यापन सहित गृह मंत्रालय (शस्त्र अनुभाग) को अग्रेषित किए जाएं।

ii) <u>गैर-निषिद्ध बोर (एन पी बी) हथियारों के लिए शस्त्र लाइसेंस प्रदान किया जाना</u>

गैर-निषिद्ध बोर हथियारों के अर्जन संबंधी शस्त्र लाइसेंसों पर संबंधित राज्य सरकार/जिलाधीश द्वारा विचार किया जाता है। इस समय, गैर निषिद्ध बोर हथियार प्रदान किए जाने के संबंध में कोई मानदंड नहीं है तथा हो सकता है कि कुछ राज्य सरकारें उदारतापूर्वक शस्त्र लाइसेंस प्रदान कर रही हों। यह निर्णय लिया गया है कि :

क) उन्हीं व्यक्तियों के आवेदनों पर विचार किया जाएगा जिनकी जान को गंभीर खतरा है अथवा होने की संभावना है, जिसके लिए लाइसेंस प्राधिकारी पुलिस प्राधिकारियों के माध्यम से खतरे की दृष्टि से आकलन प्राप्त करेगा।

ख) पुलिस सत्यापन के बिना कोई लाइसेंस प्रदान नहीं किया जाए जिसमें इन विवरणों के बारे में रिपोर्ट शामिल होगी i) आवेदक के पूर्ववृत्त, ii) खतरे के आकलन, iii) शस्त्रों को संभालकर रखने की आवेदक की क्षमता और iv) अन्य कोई सूचना जिसे पुलिस प्राधिकारी लाइसेंस प्रदान करने अथवा इनकार करने के लिए प्रासंगिक समझे। शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 13 (2 क) के परन्तुक को हटाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

ग) पुलिस प्राधिकारियों से अनुरोध किया जाए कि वे 45 दिनों के भीतर अनिवार्यत: पुलिस रिपोर्ट भेजें जिसके न होने पर संबंधित पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी।

घ) लाइसेंस प्राधिकारी, यदि आवश्यक समझे, आवेदक की प्रमाणिकता के सत्यापन के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आवेदक उनके क्षेत्राधिकार के भीतर निवास करता है, किसी सूचना/मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड जैसे दस्तावेजों अथवा किसी अन्य दस्तावेज की मांग कर सकता है।

ङ) लाइसेंस प्रदान करने वाला प्राधिकारी, शस्त्र लाइसेंस मंजूर करने से पहले धारा 13 (2) के अंतर्गत मांगी गई पुलिस प्राधिकारियों की रिपोर्ट को ध्यान में रखने के लिए बाध्य होगा तथा पुलिस सत्यापन के बिना कोई भी शस्त्र लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा।

iii) <u>पारिवारिक कुलागत नीति के अंतर्गत लाइसेंस प्रदान किया जाना</u>

गृह मंत्रालय के दिनांक 28.02.1995 के पत्र सं. वी-11019/23/95-आर्म्स में निहित अनुदेशों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जो लाइसेंसधारी की मृत्यु होने पर अथवा लाइसेंसधारी की उम्र 70 वर्ष होने पर अथवा लाइसेंसधारी के पास 25 वर्षों अथवा इससे अधिक की अवधि तक हथियार रखने पर मौजूदा

लाइसेंसधारी के कानूनी वारिस को लाइसेंस प्रदान किए जाने के बारे में है। सामान्यतः कानूनी वारिसों के दायरे में पति, पत्नी, पुत्र और पुत्री आते हैं। यह निर्णय लिया गया है कि कानूनी वारिस के दायरे में मौजूदा लाइसेंसधारी के दामाद, पुत्र-वधू, भाई और बहन को भी लाया जाए। तदनुसार, लाइसेंसधारी के उक्त संबंधियों के हथियार के अन्तरण संबंधी आवेदनों पर भी उक्त पत्र में निर्धारित अन्य शर्तों के अध्यधीन विचार किया जाएगा।

iv) <u>गोलाबारूद की मात्रा</u>

वर्तमान में एक निषिद्ध बोर शस्त्र लाइसेंसधारी को, एक समय पर, 30 से अनधिक कारतूसों की खरीद की शर्त के अध्यधीन प्रति वर्ष समुचित बोर के 50 कारतूस खरीदने की अनुमति है। गैर निषिद्ध बोर हथियारों के संबंध में राज्य सरकारें अलग-अलग मानदंडों का अनुपालन करते हुए गोलाबारूद की अलग-अलग मात्राओं की अनुमति दे रही हैं। अतः यह निर्णय लिया गया कि एक सामान्य मानदंड निर्धारित करके लाइसेंसधारी द्वारा धारित निषिद्ध-बोर और गैर-निषिद्ध बोर हथियार के संबंध में प्रति वर्ष समुचित बोर की 50 कारतूसों की अनुमति दी जाए। तथापि, पारिवारिक कुलागत वस्तु नीति के अंतर्गत अनुमत निषिद्ध-बोर एवं गैर-निषिद्ध-बोर के हथियारों के बारे में गोलाबारूद की मात्रा 30 कारतूस प्रति वर्ष प्रतिबंधित की जाएगी, क्योंकि, साधारणतया वैध वारिसों को कोई खतरा नहीं होता है तथा उन्हें हथियार, भावनात्मक लगाव के आधार पर अंतरित किया जाता है। आपवादिक मामलों में, लाइसेंसधारी द्वारा संबंधित राज्य के सचिव (गृह विभाग) के अनुमोदन से दिए गए सही एवं उपयुक्त कारणों के गुणावगुणों के आधार पर गोलाबारूद की उच्चतर मात्रा अनुमेय होगी।

v) <u>गोला-बारूद के प्रयोग की सूचना देना</u>

यह भी निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक राज्य सरकार लाइसेंसधारी द्वारा गोलाबारूद के प्रयोग पर सूचना का निर्धारण करे तथा सूचना प्रक्रिया का अभिकल्पन करे जिसके

तहत प्रत्येक लाइसेंसधारी अपने गोलाबारूद के प्रयोग जैसे कि (i) प्रयोग की तारीख, (ii) स्थान, (iii) फायर की गई बुलेट की संख्या तथा (iv) उद्देश्य का रिकार्ड अपने पास रखे। लाइसेंसधारी, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाने वाली प्रक्रिया के अनुसार वर्तमान वर्ष में गोलाबारूद की खरीद से पहले गत वर्ष के दौरान गोलाबारूद के प्रयोग के बारे में संबंधित प्राधिकारी को सूचित करे। इस प्रकार, एक वर्ष में गोलाबारूद की मात्रा को गत वर्ष में प्रयोग किए गए गोलाबारूद की मात्रा तक सीमित किया जाएगा ताकि किसी भी समय लाइसेंसधारी के पास गोलाबारूद की कुल मात्रा निर्धारित मात्रा से अधिक न हो। उदाहरणार्थ, खतरा अवबोधन श्रेणी के तहत यदि, किसी लाइसेंसधारी ने गत वर्ष के दौरान 50 कारतूसों के कोटा के मुकाबले एक भी गोलाबारूद इस्तेमाल नहीं किया, तो वर्तमान वर्ष के लिए नया कोटा देय न होगा। राज्य सरकारें इस संबंध में लाइसेंसधारियों एवं राज्य के सभी शस्त्र विक्रेताओं को समुचित अनुदेश जारी करे। प्रत्येक डी.एम. द्वारा संबंधित राज्य सरकार को त्रैमासिक आधार पर लाइसेंसधारी द्वारा इस्तेमाल किए गए गोलाबारूद पर एक रिपोर्ट भेजी जाएगी तथा राज्य सरकार द्वारा वार्षिक आधार पर एक समेकित रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी।

vi) <u>प्रवासी भारतीयों को शस्त्र लाईसेंस की स्वीकृति</u>

पारिवारिक कुलागत की श्रेणी से संबंधित मौजूदा अनुदेशों में प्रवासी भारतीय (ओ सी आई) शामिल नहीं है। परिवार में धारित हथियारों को रखने के संबंध में शस्त्र लाइसेंस स्वीकृत करने के संबंध में प्रवासी भारतीयों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इस मामले की जांच की गई है और यह निर्णय लिया गया कि भारतीय नागरिकों के लिए मौजूदा पारिवारिक कुलागत श्रेणी के अंतर्गत प्रवासी भारतीयों को भी लाया जाए। एक प्रवासी भारतीय, वर्तमान कुलागत श्रेणी के अंतर्गत एक कानूनी वारिस होने के नाते हथियार का अर्जन कर सकता है। प्रवासी भारतीयों को शस्त्र लाइसेंस की स्वीकृति इस शर्त के अध्यधीन होगी कि वे शस्त्र अधिनियम/नियमों का पालन करेंगे और भारत छोड़ते समय हथियारों की समुचित सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे और उक्त को किसी पुलिस थाने में अथवा मान्यताप्राप्त शस्त्र विक्रेता के पास जमा कराएंगे।

vii) <u>शस्त्र लाइसेंस की क्षेत्र वैधता</u>

वर्तमान में राज्य सरकारों के स्तर पर गैर-निषिद्ध बोर लाइसेंसों की अखिल भारतीय वैधता की अनुमति देने के लिए उन्हें शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार, अधिकतम तीन समीपस्थ राज्यों तक की क्षेत्र वैधता की अनुमति दे सकती है तथा राज्य स्तर पर (i) पदासीन केन्द्रीय मंत्रियों/संसद सदस्यों, (ii) सेना, अर्द्ध सैनिक कार्मिकों, (iii) अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों, (iv) भारत में कहीं भी सेवा करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी और (v) खिलाड़ियों के अखिल भारतीय वैधता के अनुरोधों पर भी विचार कर सकती है। अखिल भारतीय वैधता 3 वर्ष के लिए अनुमत की जाए, जिसके बाद, आवश्यकता के आधार पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा और क्षेत्र वैधता या तो घटायी जा सकती है अथवा अगले तीन वर्षों तक जारी रहने की अनुमति दी जा सकती है। उपर्युक्त श्रेणियों के आवेदकों से प्राप्त अनुरोध को संबंधित राज्य के सचिव (गृह) के स्तर पर अनुमोदित किया जाएगा। ऐसे आवेदकों के मामले, जो उपर्युक्त श्रेणियों में नहीं आते हैं, राज्य सरकार सुपात्र मामलों में पूर्ण औचित्य के साथ गृह मंत्रालय से पूर्व सहमति प्राप्त करेगी। ऐसे मामलों में तीन वर्ष की अखिल भारतीय वैधता की अनुमति दी जानी चाहिए और गृह मंत्रालय की पूर्व सहमति से राज्य सरकार द्वारा तीन वर्ष के बाद इस पर पुन: विचार किया जाएगा। राज्य सरकार, तिमाही आधार पर अखिल भारतीय वैधता आंकड़े, गृह मंत्रालय को भेजें।

Viii) <u>शस्त्र लाइसेंसों का नवीकरण</u>

यह निर्णय लिया गया है कि नवीकरण करते समय पूर्व-वृत्तों का पुन: सत्यापन निम्नलिखित मामलों में पुलिस प्राधिकारियों के माध्यम से डी एम द्वारा किया जाएगा (i) उन मामलों में जिनमें डी एम/लाइसेंस प्रदान करने वाले प्राधिकारी को कोई संदेह है, (ii) अन्य मामलों में छ: वर्ष के बाद अर्थात् प्रत्येक दूसरे साइकल के बाद जब लाइसेंस नवीकरण के लिए आता है, और (iii) उन सभी मामलों में जहां लाइसेंस इसे प्रदान करने वाले किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है। अन्तिम उल्लिखित मामले में, नवीकरण किए जाने की अनुमति देने से पहले जारीकर्ता प्राधिकारी से लाइसेंस जारी किए जाने का सत्यापन भी पुलिस सत्यापन के साथ निर्धारित किया जाए। पुलिस प्राधिकारियों को अपनी रिपोर्ट भेजने के लिए 60 दिन की अवधि दी

जाएगी। राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया गया है कि वे छः महीने पहले पुलिस पुनर्सत्यापन करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सभी जिला अधिकारियों को सलाह देने की व्यवहार्यता की जांच करें क्योंकि किसी लाइसेंस का पूरा रिकार्ड जिला अधिकारियों के पास उपलब्ध होता है।

ix) <u>खराब/त्रुटिपूर्ण हथियारों को बदलना</u>

खराब अथवा त्रुटिपूर्ण हथियार बदलने के लिए किसी प्राधिकृत हथियार निर्माता/सक्षम प्राधिकारी से हथियार खराब होने/आर्थिक दृष्टि से मरम्मत से परे होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने के आधार पर कम से कम 45 दिनों का नोटिस दिए जाने के अध्यधीन खराब अथवा त्रुटिपूर्ण हथियार को बदलने की अनुमति दी जाए। किसी ऐसे लाइसेंसी के मामले में, जिसके हथियारों के लाइसेंस में लाइसेंसी के जीवन काल के दौरान हथियार बेचने का निषेधात्मक खंड है (सामान्यतया आयातित हथियारों के मामले में), ऐसे मामलों में सक्षम प्राधिकारी से खराब/आर्थिक दृष्टि से मरम्मत से परे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने पर सीमा-शुल्क विभाग/राजस्व विभाग के साथ परामर्श करने के बाद लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा इसे बदले जाने पर विचार किया जा सकता है। लाइसेंसिंग प्राधिकारी के अनुदेशों के अनुसार पुराने हथियार लौटाए जाने/ निपटान कर दिए जाने के बाद लाइसेंस पर नया हथियार दिया जाएगा।

x) <u>अप्रचलित, अप्रयुक्तप्राय, जब्त, कुर्क और बरामद किए गए हथियारों का भंडारण / निपटान:</u>

अप्रचलित/अप्रयुक्तप्राय, जब्त, कुर्क और बरामद किए गए निषिद्ध बोर के हथियारों के साथ-साथ गैर निषिद्ध बोर के हथियारों के भण्डारण और निपटान के लिए पृथक-पृथक अनुदेश विद्यमान हैं। निषिद्ध बोर के जो हथियार मरम्मत करने योग्य हैं, वे गृह मंत्रालय (प्रोविजनिंग प्रभाग) द्वारा सेना/केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों/राज्य पुलिस को आबंटित किए जा सकते हैं। मरम्मत योग्य गैर-निषिद्ध बोर के हथियारों को उन पात्र व्यक्तियों को आबंटित किया जा सकता है जिनके पास हथियारों का लाइसेंस हो और यह इस संबंध में यथानिर्धारित शर्तों और प्रक्रिया के अध्यधीन होगा। खराब हथियारों

को यथानिर्धारित प्रक्रिया के अनुसार या तो नष्ट कर दिया जाएगा या उनका निपटान कर दिया जाएगा। अप्रचलित, अप्रयुक्तप्राय, जब्त किए गए, कुर्क और बरामद किए गए हथियारों की वार्षिक लेखा परीक्षा निर्धारित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

xi) **<u>जारी किए गए लाइसेंसों का डाटाबेस</u>**

इस समय ऐसा कोई उपबंध नहीं है जिसमें लाइसेंसिंग प्राधिकारी के लिए यह आवश्यक हो कि वह जारी किए गए लाइसेंसों का विस्तृत और पूरा डाटाबेस रखे। एक ऐसा डाटाबेस रखने का निर्णय लिया गया है जिसे विनिर्दिष्ट किया जाएगा, और केन्द्र सरकार के साथ आंकड़ों का आदान-प्रदान किया जाएगा जो फिर राष्ट्रीय डाटाबेस बनाएगी। पी बी हथियारों के डाटा सहित राष्ट्रीय डाटाबेस,केन्द्रीय तौर पर गृह मंत्रालय द्वारा रखा जाएगा। तदनुसार सभी जिला मजिस्ट्रेटों को अनके द्वारा जारी किए गए सभी लाइसेंसों के विस्तृत और पूरा डाटाबेस रखने संबंधी अनुदेश जारी किए जाएं, जिन्हें केन्द्र सरकार के साथ आदान-प्रदान किया जाए।

उपर्युक्त अनुदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा इनका कड़ाई से अनुपालन किया जाए।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(डी. दीप्तिविलासा)संयुक्त सचिव, भारत सरकार